राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.19(10)न्याय/2019 **जयपुर, दिनांक 23.12.2020**

:: सूचना ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा–2018 में 197 चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस विभाग को भिजवाई गई, जिसमें से 07 अभ्यर्थियों द्वारा न्यायिक सेवा में सम्मिलित होने से मना (Deny to join rajasthan Judicial service) कर दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परामर्श एवं अभिशंसा अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 25.09.2020 द्वारा 190 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिसमें से 1 अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति रद्द करने की पूर्ण पीठ द्वारा अभिशंसा की गई है। इस प्रकार कुल 08 अभ्यर्थियों के स्थान पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 08 अभ्यर्थियों के नाम इस विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित किए गए है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Name of selected candidates Sarva Sh./Ms...	Roll No.	Category
1.	Minakshi Choudhary	17433	General (F)
2.	Yash Bishnoi	19148	General (M)
3.	Shagun	18455	General (F)
4.	Sonal Sharma	18669	General (F)
5.	Pulkit Sharma	17969	General (M)
6.	Harshit Sharma	16905	General (M)
7.	Kanishka Yadav	17097	OBC-NCL (F)
8.	Aditya Sharma	16146	General (M)

राजस्थान न्यायिक सेवा में उक्त 08 चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्वाचरण के बारे में Attestation Form की दो प्रतियों में पूर्ति कर दो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित करा कर स्वयं के दो रंगीन छायाचित्र सहित इस विभाग को कमरा नं. 1011, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पते पर व्यक्तिशः/डाक द्वारा सात दिवस में भिजवाने का श्रम करें ताकि अभ्यर्थियों की राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। इस संबंध में Attestation Form की प्रति विभागीय पोर्टल law.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

नोटः– Attestation Form के कॉलम संख्या 2, 3, 4, 10, 11 में भरा गया पता दिल्ली का होने पर अभ्यर्थी स्वयं के फोटो पहचान पत्र व दिल्ली के Address Proof की छायाप्रति भी आवश्यक रूप से Attestation Form के साथ संलग्न कर प्रेषित करें।

23.12.2020

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\LETTTER-2018.docx